

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई												
24.9.19	<p>विविध वाद सं०- 04(B.C.)/2019-20/CNT-46 भवतारण महतो, पिता-स्व० शम्भु महतोआवेदक -----बनाम----- मौमिता महतो, पति-श्री गुरुदेव महतो क्रेता</p> <p>आदेश</p> <p>छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदक (विक्रेता) भवतारण महतो, पिता-स्व० शम्भु महतो, ग्राम-चारचाका, थाना-धलभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जाति-"कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) द्वारा निम्नलिखित विवरण की भूमि को क्रेता मौमिता महतो, पति-श्री गुरुदेव महतो, ग्राम-कुदलुंग, थाना-एम० जी० एम० जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, वर्तमान पता House No.-102, दुर्गाबारी रोड, उलियाम कदमा, थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जाति-"कुर्मी" (पिछड़ा वर्ग) को बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन दिया गया है:-</p> <table border="1" data-bbox="289 857 1287 958"> <thead> <tr> <th>अंचल</th> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>धालभूमगढ़</td> <td>चारचाक्का</td> <td>388</td> <td>87</td> <td>224</td> <td>0.46 ए०</td> </tr> </tbody> </table> <p>संबंधित अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। सर्व साधारण सूचना दिनांक:-28/08/2018 के द्वारा आपत्ति की मांग की गई। इस अनुमति आवेदन के विरुद्ध किसी को कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 13/09/2018 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के पत्रांक-589, दिनांक:-15/10/2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामिला प्राप्त हैं। उक्त वर्णित भूमि का अन्तरण पर किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज के अनुसार वर्णित भूमि बिक्री केवाला संख्या-153, दिनांक-17/01/2003 के माध्यम से खरीदा हुआ भूमि है जिसका नामान्तरण संख्या-97/2003-04 है तथा पंजी-॥ में दर्ज है। आवेदित भूमि हाल सर्वे 1964 के खतियान में पूर्व रैयत मन्मथ सामन्त, पिता-सदय चन्द्र सामन्त के नाम पर दर्ज है। आवेदक उपस्थित होकर बताया कि भूमि पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है। आवेदित भूमि आवेदक स्वयं का खरीदा हुआ भूमि है एवं पंजी-॥ में भी आवेदक का अपना नाम से दर्ज है। उन्होंने आंशिक भूमि बेचना चाहते हैं। लगान वर्ष 2019-20 तक देय है। आवेदित भूमि बिक्री के बाद उनके पास लगभग पाँच बीघा से अधिक भूमि अवशेष बचता है। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र संख्या-52, दिनांक-23/09/2019 दाखिल किया गया है।</p> <p>आवेदित भूमि बेचने के पश्चात आवेदक का जीवन यापन के लिए पर्याप्त भूमि अवशेष बचता है। आवेदक (विक्रेता) एवं क्रेता दोनो एक ही जिला क्षेत्र के</p>	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	धालभूमगढ़	चारचाक्का	388	87	224	0.46 ए०	
अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा									
धालभूमगढ़	चारचाक्का	388	87	224	0.46 ए०									


Handwritten signature


हैं तथा पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। इसके संबंध में बिक्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, घाटशिला द्वारा ऑन लाईन निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2019/292155, दिनांक-12/04/2019 तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ का कार्यालय द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2019/599423, दिनांक-10/07/2019 तथा क्रेता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी, का कार्यालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा निर्गत ऑन लाईन आवासीय प्रमाण-पत्र संख्या-JHRC/2018/933347, दिनांक-11/02/2019, तथा अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा ऑन लाईन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र संख्या-JHCC/2018/1091067, दिनांक-17/09/2019 तथा आधार कार्ड, लगान रसीद आदि की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

आवेदक 0.46 एकड़ भूमि को ऋण की वसूली अदायगी की प्रतिपूर्ति एवं अन्य घरेलु खर्च हेतु आवेदित भूमि कुल-4,60,000.00/- (चार लाख साठ हजार) रूपये में बेचना चाहते हैं।

अतः प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी धालभूमगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत आवेदित भूमि मौजा-चारचाक्का, थाना नं0-388, खाता नं0-87, प्लॉट नं0-224 रकवा-0.46 एकड़ भूमि की अन्तरण हेतु आवेदक (बिक्रेता) को इस शर्त के साथ अनुमति दिया जाता है कि क्रेता-बिक्रेता बिक्री की जाने वाली भूमि के हक/दखल/ कब्जा/कोई विवाद के संबंध में उभय पक्ष स्वयं जिम्मेवार होंगे।

लेखापित एवं संशोधित


अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
-सह-
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
घाटशिला।


अधिनियम के अन्तर्गत उपायुक्त
-सह-
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
घाटशिला।

*c.c. of final order
is issued.*
21/10/19